मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-8

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 2007 (फाल्गुन 22, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा उनके प्रश्न संख्या-24 (क्रमांक3136) "श्योपुर जिले में रोजगार गारंटी योजनांतर्गत स्वीकृत कार्य" संबंधी विषय पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 138 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 130 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267 क के अधीन विषय

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने बाण सागर से नहरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराए जाने,

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने विजयपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में बंदरों का आतंक होने,

(3) श्री बृजमोहन बद्रीनारायण, सदस्य ने इंदौर बैतूल मार्ग की जर्जर हालत होने,

(4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर खतौनी मार्ग की जर्जर हालत होने,

(5) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने प्रदेश के रीवा, सतना, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल संभाग में हुई ओलावृष्टि से फसलों के नष्ट होने से किसानों को मुआवजा राशि न दिये जाने,

(6) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन में कार्य संपादन हेतु नियम न बनाये जाने,

(7) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य ने होशंगाबाद के समीप ट्रेक्टर ट्राली मारूती भिड़त में एक डाक्टर की मौत होने, तथा

(8) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के मऊगंज में शासकीय विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत राशि से निर्माण कार्य नहीं किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री ने -

(i) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006; तथा

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक 2076 म.प्र.वि.नि.आ./2006, दिनांक 22 अगस्त, 2006;

(ख) क्रमांक 2818/म.प्र.वि.नि.आ / 2006, दिनांक 20 नवम्बर, 2006 ; तथा

(ग) क्रमांक 2942/ म.प्र,वि.नि.आ./ 2006, दिनांक 30 नवम्बर, 2006,

(2) चौधरी चन्द्रभान सिंह, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 1997 (क्रमांक 28 सन् 1997) की धारा 3 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2003-2004, तथा

(3) श्री रुस्तम सिंह, जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 (क्रमांक 18 सन् 2003) की धारा 63 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-2-2003-सत्तावन, दिनांक 1 फरवरी, 2007,

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक निगम द्वारा बीमा की निविदा में अनियमितता से शासन को हुई हानि की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री आरिफ अकील, डॉ. निशिथ पटेल, श्री राजेश पटेल, सदस्य ने भोपाल के नादरा बस स्टेण्ड को हलालपुरा में स्थानांतरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा भोपाल के नादरा बस स्टैण्ड को हलालपुरा में स्थानांतरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति" संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री संजय शर्मा, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के -

(क) ग्राम विलहरा स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम पनारी स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने, तथा

(ग) तहसील तेंदूखेड़ा स्थित विश्राम गृह को पुनः संचालित कराये जाने,

संबंधी याचिकायें पढ़ी हुई मानी गई।

6. वक्तव्य

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने दिनांक 16 मार्च, 2005 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 4491) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

7. वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

(2) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा

(3) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल

(4) श्रीमती सरोज बच्चन नायक

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(5) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(6) डॉ. सुनीलम्

(7) श्री सत्यदेव कटारे

(8) श्री अर्जुन पलिया

(9) श्री इंद्रजीत कुमार पटेल

(10) श्री दरबू सिंह उईके

(11) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(12) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री राघव जी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक-1 सन् 2007) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्रीमती सुधा जैन
(2) श्री रामलखन शर्मा
(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) श्री दरबू सिंह उईके
(6) डॉ. सुनीलम्

श्री जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक-1 सन् 2007) पारित किया जाय।

(श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने विधेयक पारित करने के पूर्व डिवीजन की मांग की)

विधेयक के पारित करने के पक्ष में 62 मत प्राप्त हुए तथा विपक्ष में 14 मत प्राप्त हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मत विभाजन द्वारा विधेयक पारित हुआ।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) संशोधन विधेयक, 2007 (क्रमांक-2 सन् 2007) विधेयक पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) संशोधन विधेयक, 2007 (क्रमांक-2 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

04 बजकर 52 मिनिट पर विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 14 मार्च, 2007 (फाल्गुन 23, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.